न्यायालय, समाहर्त्ता–सह–जिलादण्डाधिकारी, खगड़िया

उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–25 / 2017–18

राज्य बनाम मो० शहादत

आदेश की क्रम सं. और तारीख 1	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3
20.6.2017	**आदेश** बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा–58 के अंतर्गत प्रश्नगत वाद, बेलदौर थाना कांड सं०–52 / 2017, दिनांक–14.03.2017 के सन्दर्भ में प्राप्त थानाध्यक्ष, बेलदौर थाना के अधिहरण प्रस्ताव दिनांक–05.05.2017 के आलोक में प्रारंभ की गई है। पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक–1696 / सी.आर.,दिनांक–10.05.2017 द्वारा भी थानाध्यक्ष, बेलदौर थाना के अधिहरण प्रस्ताव पर अनुशंसा सहित कार्रवाई प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया है। थानाध्यक्ष, बेलदौर थाना के अधिहरण प्रस्ताव में उल्लेख है कि संदर्भित प्राथमिकी से सम्बद्ध वाहन BR34H-9294 होंडा ड्रिम मोटर साइकिल है। दिनांक–14.03.2017 को अवैध रूप से उक्त वाहन पर Eltu Cough Syrup [Codeine Phosphate is Triprolidine Hydrochlorid] Syrup-100 एम0एल0 का 100 बोतल कुल 200 बोतल एवं Elturex-T Cough Syrup [Codeine Phospates is Triprolidine Hydrochloride Syrup] 100ml का-90 बोतल का Cough Syrup बरामद किया गया है। जप्ती सूची के विषय में वर्णन के अनुसार वाहन पर .अवैध रूप से नशीला पदार्थ के साथ 290 बोतल बरामद किया गया है। प्राप्त अधिहरण प्रस्ताव के आलोक में सभी संबंधित को विधिवत सूचना निर्गत कर सुनवाई की निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया। दैनिक जागरण एवं प्रभात खबर के दिनांक–04.06.2017 के संस्करण में प्रकाशित विज्ञापन के द्वारा भी प्रश्नगत मोटर साईकिल के स्वामी को उपस्थित होकर निर्धारित तिथि 08.06.2017 को समाहर्त्ता न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु निदेशित किया गया। वाहन स्वामी दिनांक 13.06.2017 को अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर कारण पृच्छा दाखिल किया है। कारण पृच्छा में प्रतिवादी ने उल्लेख किया है कि इस कांड में गिरफ्तार मो0 सद्दाम प्रतिवादी के जीजा है तथा वे प्रतिवादी को बिना सूचित किए उनकी गाड़ी लेकर चले गए। अतः उनके द्वारा कोई गलत कार्य नहीं किया गया है। प्रतिवादी का यह तर्क पूर्णतया अस्वीकार्य है।	

उपर्युक्त प्राथमिकी के साथ संलग्न जप्ती सूची तथा अन्य प्रतिवेदनों से स्पष्ट है कि उक्त वाहन का उपयोग विपक्षी द्वारा ईरादतन नशीला पदार्थ के कारोबार के लिए किया जा रहा था, जो वर्तमान में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 के अंतर्गत संज्ञेय अपराध है तथा इसमें प्रयुक्त वाहन अधिहरण योग्य है।

सुनवाई के क्रम में विशेष लोक अभियोजक द्वारा इस कांड में विधिवत की गई जप्ती एवं प्रश्नगत वाहन से जप्त नशीला पदार्थ की मात्रा का उल्लेख करते हुए प्रश्नगत वाहन को अधिनियम की धारा–58(2) के अंतर्गत अधिहरण योग्य बताया गया है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि सभी प्रतिवेदनों से यह स्पष्ट है कि उक्त वाहन नशीला पदार्थ के कारोबार में संलिप्त था जो संदर्भित अधिनियम अंतर्गत राज्य में पूर्णतः निसिद्ध होने के कारण संज्ञेय अपराध है।

उभयपक्षों की बहस तथा अभिलेख के अवलोकन के आधार पर मैं संतुष्ट हूँ कि प्रश्नगत वाहन BR34H-9294 होंडा ड्रिम मोटर साईकिल बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 के अंतर्गत अधिहरण किये जाने योग्य है। अतः निम्न आदेश दिया जाता है।

1. इस अपराध में प्रयुक्त वाहन BR34H-9294 होंडा ड्रिम मोटर साइकिल, जो जप्त कर बेलदौर थाना में रखा हुआ है, का बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा–58(2) के अंतर्गत अधिहरण किया जाता है। अधिहरण किया जाने वाला वाहन किसी भी ऋण–भार से मुक्त होगा। साथ–ही लोकहित में आदेश दिया जाता है कि इस अधिनियम की धारा–58(5) के अंतर्गत सार्वजनिक निलामी के माध्यम से इसकी बिक्री की जाय।
2. जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि थाना में जप्त वाहन BR-34H-9294 होंडा ड्रिम मोटर साईकिल का मोटरयान निरीक्षक, खगड़िया से मुआयना कराकर उसका मूल्यांकन प्रतिवेदन तीन दिनों के अंतर्गत समर्पित करेंगे।
3. सार्वजनिक निलामी की कार्रवाई उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया की देख–रेख में की जायेगी और निलामी से प्राप्त धन–राशि सरकारी खजाने में विहित रीति से जमा की जायेगी।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता, खगड़िया। — समाहर्त्ता, खगड़िया।